Details of Benefits Provided to Scheduled Castes Farmers

***28 SHRI JAGDISH NAYAR, MLA HODAL:**

Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the number of farmers belonging to the Scheduled Castes who have been benefitted from the schemes of Govt. in State during the year 2021-22 together with the details of benefits provided to the above said farmers?

JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

Sir,

There are various schemes of the Govt. run by Agriculture and Farmers Welfare and Horticulture Department to give benefits to the SC farmers in the State. An amount of Rs. 7626.95 Lac was given as a benefit under different schemes by the Govt. to Scheduled Castes Farmers during the year 2021-22. The detail of the same is placed at Annexure-'A' and Annexure-'B' for Agriculture and Farmers Welfare Department and Horticulture Department respectively.

Annexure-'A'

Scheme wise benefits given to Scheduled Castes farmers by the Agriculture and Farmers Welfare Department during the year 2021-22.

Sr. No.	Name of Scheme	No. of SC Farmers benefitted	Benefits given with details (Rs. in Lac)	Types of Benefit Given
1	Scheme for Providing Implements/ Machinery on subsidy to the group of farmers and farmers of SC category	225	4.12	Battery operated spray pumps.
2	National Food Security Mission for Scheduled Castes Farmers (NFSM)	1825	6.95	Seed, Fertilizer, Pesticide, Fungicide etc. for Demonstration Plots, Water Application Tools, Plant Protection Equipments.
3	Support to State Extension Programmes for Extension Reforms for Scheduled Caste Farmers (ATMA)	4246	52.68	Agri. Inputs (Seed, Fertilizer, Fungicide, Pesticide etc.)
4	Rashtriya Krishi Vikas Yojna for Scheduled Castes(RKVY)	7501	1012.36	Construction of Water Harvesting Structure, Seed, Shrimp Farming, Training and Awareness Camp.
5	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)	11813	769.30	This amount was a subsidy of the premium paid by the Govt.
6	Sub-Mission on Agriculture Mechanization(SMAM)- 9 CHCs	63	38.13	Farm Implements.
7	Scheme for Management of Crop Residue (CRM)-(125 individual farmers +23 CHCs)	286	235.42	Farm Implements.
8	Technology Mission on Sugarcane(TMS)	46	2.35	Agri Inputs (Seed, Fertilizer, Pesticide)
9	Cotton Cultivation	3	11.55	Water tank with Micro Irrigation.
10	PMKSNY	62960	3777.60	Rs. 6000/- per farmer
	Total	**88968**	**5910.46**	

Annexure-'B'

Scheme wise benefits given to Scheduled Castes farmers by the Horticulture Department during the year 2021-22.

Sr. No.	Name of Scheme	No. of SC Farmers benefitted	Benefits given with details (Rs in Lac)	Type of benefits given
1	Scheme for Integrated Horticulture Development for Scheduled Caste Families.	511	488.86	Bamboo staking in vegetable Crops, MS Iron staking in Vegetable Crops, Mushroom Trays and Protected Structure.
2	Central Scheme for National Horticulture Mission of Scheduled Caste Farmers	544	1115.26	Area Expansion of fruits & maintenance, Area Expansion of Vegetables, Spices, Aromatic Crops & Rejuvenation Water Farm Ponds, Protected Cultivation, Mechanization, PHM & Marketing, IPM/INM and Bee-keeping.
3	"Silk Samagra" Integrated Scheme for development of Silk Industry (ISDSI) for Scheduled Caste Farmers	326	112.37	Beneficiary Empowerment Program (BEP), Mulberry plantation development, Construction of rearing house for 100 dfls, Supply of rearing appliance, Support for prophylactic measure for assured cocoon yield and maintenance of plantation.
	Total	**1381**	**1716.49**	

Note for Pad

***28 Details of Benefits Provided to Scheduled Castes Farmers**

The Department of Agriculture and Farmers Welfare and Horticulture Department implemented various schemes during the year 2021-22 from which the Scheduled Caste farmers were benefitted in the State. The detail of the schemes is as under:

Agriculture and Farmers Welfare Department

1. **Scheme for Providing Implements/ Machinery on subsidy to the group of farmers and farmers of SC category**

   During the year 2021-22, 225 SC farmers were benefitted with an amount of Rs. 4.12 Lac. Many implements like Battery operated spray pump etc. were given to the farmers on subsidy.

2. **National Food Security Mission for Scheduled Castes Farmers (NFSM)**

   An amount of Rs. 6.95 Lac was given as a benefit to the 1825 SC farmers for the distribution of Moong, Mustard, Seed Minikits free of cost.

3. **Support to State Extension Programmes for Extension Reforms for Scheduled Caste Farmers (ATMA)**

   An amount of Rs. 52.68 Lac was given as benefit to the 4246 number of SC farmers under ATMA scheme. These farmers were given Agriculture Inputs like Seed, Fertilizer, Fungicide, Pesticide etc. for the Demonstration plots.

4. **Rastriya Krisha Vikas Yojna (RKVY)**

   Under the scheme an amount of Rs. 1012.36 Lac was given as a benefit to 7501 numbers of farmers during the year 2021-22. Various projects are being implemented by the various department/implementing agencies for the SC farmers for the construction of Water Harvesting Structure in SC dominating villages. The SC farmers were also given subsidy on Seed during the year.

Training and awareness camp along with the subsidy to the fisheries farmers was also provided.

5. **Pardhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)**
   11813 numbers of farmers were benefitted with an amount of Rs. 769.30 Lac to the SC farmers as a premium subsidy.
6. **Sub-Mission on Agriculture Mechanization (SMAM)**
   Rs. 38.13 Lac was given as a benefit to 9 numbers of Custom Hiring Centres (CHCs) in which 63 SC farmers were covered. Subsidy @ 80% on the different implements of farm mechanization was given to the CHCs of SC farmers.

7. **Scheme for Management of Crop Residue (CRM)**
   125 farmers and 23 CHCs (161 farmers) were covered under the scheme with an amount of Rs. 235.42 Lac. Under the scheme the SC farmers were given 80% subsidy on Agriculture Inputs to the CHCs and 50% subsidy to the individual farmers.
8. **Technology Mission on Sugarcane(TMS)**
   46 numbers of farmers were given benefit with an amount of Rs. 2.39 Lac. And these farmers were provided fertilizer, pesticide, Seed.
9. **Cotton Cultivation**
   Rs. 11.55 Lac was given as a benefit to three farmers for subsidy on Water tank with Micro Irrigation System.
10. **PMKSNY**
    62960 farmers were benefitted with an amount of Rs. 3777.60 Lac during the year 2021-22. This is a scheme which is directly implemented by the GoI.

Horticulture Department

1. **Scheme for Integrated Horticulture Development for Scheduled Caste Families**

   Rs. 488.86 Lac was extended to the 511 number of SC farmers for Bamboo Staking in Vegetable Crops, M/S Iron Staking in Vegetable Crop, Mushroom Trays and protected structure were implemented under the scheme for SC farmers.

2. **Central Scheme for National Horticulture Mission of Scheduled Caste**

   Rs. 1115.26 Lac was given as a benefit to 540 number of SC farmers for expansion of area under fruits and maintenance area for vegetable spices, Aromatic & Rejuvenation Water Farm Ponds, Protected Cultivation, Mechanization, PHM & Marketing, IPM/INM and Bee-keeping.

3. **Central Plan Scheme for "Silk Samagra" Integrated Scheme for development Silk Industry (ISDSI) for Scheduled Farmers**

   326 numbers of farmers were benefitted with an amount of Rs. 112.37 Lac. The SC farmers were provided with Beneficiary Empowerment program (BEP), Mulberry Plantation Development, Construction of rearing house for 100 dfls, Supply of Rearing Appliance, Support for Prophylactic measure for assured Cocoon yield and Maintenance of Plantation.

*****

अनुसूचित जाति के किसानों को दिए जाने वाले लाभों का विवरण

***28 श्री जगदीश नायर, विधायक होडलः**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों की संख्या कितनी है जो वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं तथा उपरोक्त किसानों को दिए लाभों का ब्यौरा क्या है ?

जय प्रकाश दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी,

राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 7626.95 लाख रूपये अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ के रूप में दिया। इसका विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग के लिए क्रमशः अनुबन्ध–'ए' और अनुलग्नक–'बी' में दिया गया है।

अनुलग्नक–'ए'

वर्ष 2021–22 के दौरान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को योजनावार लाभ दिये गये।

कमांक	स्कीम का नाम	लाभान्वित अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या	विवरण के साथ दिए गए लाभ (रूपये लाख में)	दिए गए लाभ के प्रकार
1	अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों एवं किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी उपलब्ध कराने की योजना	225	4.12	बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप।
2	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	1825	6.95	बीज, खाद, कीटनाशक, फफूंदीनाशक इत्यादि कि प्रर्दशन प्लॉट, जल अनुप्रयोग उपकरण एवं पौध सरंक्षण के उपकरण।
3	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के विस्तार सुधार हेतु समर्थन योजना (आत्मा)	4246	52.68	कृषि इनपुट (बीज, उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक आदि)
4	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर. के.वी.वाई.)	7501	1012.36	जल संचयन संरचना का निर्माण, बीज, झींगा पालन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर।
5	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	11813	769.30	यह राशि सरकार द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की सब्सिडी थी।
6	कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन (एसएमएम)–9 सीएचसी	63	38.13	कृषि यंत्र।
7	फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम)–125 व्यक्तिगत किसान+23 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	286	235.42	कृषि यंत्र।
8	गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएस)	46	2.35	कृषि आदान (बीज, उर्वकर, कीटनाशक)
9	कपास की खेती	3	11.55	सूक्ष्म सिंचाई के साथ पानी की टंकी।
10	पीएमकेएसएनवाई	62960	3777.60	रू. 6000/– प्रति किसान
	कुल	**88968**	**5910.46**	

अनुलग्नक–'बी'

वर्ष 2021–22 के दौरान उद्यान विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को योजनावार लाभ दिये।

क्रमांक	स्कीम का नाम	लाभान्वित अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या	विवरण के साथ दिए गए लाभ (रूपये लाख में)	दिए गए लाभ के प्रकार
1	अनुसूचित जाति परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना।	511	488.86	सब्जियों की फसलों में बांस की स्टेकिंग, सब्जियों की फसलों में एमएस आयरन स्टेकिंग, मशरूम ट्रे और संरक्षित संरचना।
2	अनुसूचित जाति के किसानों के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए केन्द्रीय योजना	544	1115.26	फलों ओर रखरखाव का क्षेत्र विस्तार, सब्जियों, मसालों, सुगंधित(ऐरोमैटिक) फसलों और नवीनीकरण जल फार्म तालाबों का क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, मशीनीकरण, पीएचएम और विपणन, आईपीएम/आइएनएम और मधुमक्खी/आईएनएम और मधुमक्खी पालन।
3	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए रेशम उद्योग (आईसडीएसआई) के विकास के लिए एकीकृत योजना ''सिल्क समाग्रा''	326	112.37	लाभार्थी अधिकारिता कार्यक्रम (बीईपी), शहतूत वृक्षारोपण विकास, 100 डीएफएलएस के लिए पालन गृह का निर्माण, पालन उपकरण की आपूर्ति, सुनिश्चित कोकून उपज और वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए रोगनिरोधी उपाय के लिए सर्मथन।
	कुल	**1381**	**1716.49**	

नोट फार पैड

***28 अनुसूचित जाति के किसानों को दिए जाने वाले लाभों का विवरण**

कृषि तथा किसान कल्याण एवं उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिससे प्रदेश में अनुसूचित जाति के किसान लाभान्वित हुए। योजनाओं का विवरण इस प्रकार हैः

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

1. **अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों और किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण/मशीन उपलब्ध कराने की योजना**

वर्ष 2021–22 के दौरान 225 अनुसूचित जाति के किसानों को 4.12 लाख रूपये की राशि से लाभान्वित किया गया। किसानों को कई उपकरण जैसे बैटरी चालित स्प्रे पंप आदि सब्सिडी पर दिए गए।

2. **अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) रूपये की राशि।**

1825 अनुसूचित जाति के किसानों को मूंग, सरसों, बीज मिनीकिट के निःशुल्क वितरण के लिए 6.95 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई।

3. **अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के विस्तार सुधार हेतु समर्थन योजना (आत्मा)**

आत्मा योजना के तहत 4246 अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ के रूप में 52.68 लाख रूपये दिए गए। किसानों को प्रर्दशन प्लाटों के लिए कृषि इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक आदि दिए गए।

4. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)**

योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान 7501 किसानों को लाभ के रूप में 1012.36 लाख रूपये की राशि दी गई। अनुसूचित जाति बहुल गांवों में जल संचयन संरचना के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विभिन्न विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों को बीज पर सब्सिडी दी गई। मत्स्य पालन किसानों को सब्सिडी के साथ–साथ प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर भी प्रदान किया गया।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

11813 अनुसूचित जाति के किसानों को 769.30 लाख रूपये से प्रीमियम सब्सिडी के रूप में लाभान्वित किया गया।

6. कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन (एसएमएएम)

अनुसूचित जाति के किसानों के 9 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) जोकि 63 किसानों को लाभ के रूप में 38.13 लाख रूपये दिये गए। अनुसूचित जाति के किसानों के कस्टम हायरिंग सेंटरों को कृषि यंत्रीकरण के विभिन्न उपकरणों पर 80 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी गई।

7. फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम)

125 किसानों और 23 सीएचसी (161 किसान) में इस योजना के तहत 235.42 लाख रूपये की राशि के साथ लाभ दिया गया। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को सीएचसी को कृषि इनपुट पर 80 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में व्यक्तिगत किसान को दी गई थी।

8. गन्ने पर प्राद्योगिकी मिशन (टीएमएस)

46 किसानों को 2.39 लाख रूपये की राशि के साथ लाभ दिया गया था और इन किसानों को खाद, कीटनाशक, बीज उपलब्ध कराया गया।

9. कपास की खेती

3 किसानों को 11.55 लाख रूपये सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के साथ पानी की टंकी पर सब्सिडी का लाभ दिया गया।

10. पीएमकेएसएनवाई

62960 किसानों को वर्ष 2021–22 के दौरान 3777.60 लाख रूपये के साथ लाभान्वित किया गया। यह योजना भारत सरकार द्वारा सीधी कार्यान्वित है।

बागवानी विभाग

1. **अनुसूचित जाति परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना**

   अनुसूचित जाति के किसानों के लिए योजना के तहत सब्जियों की फसल में बांस की खेती, सब्जी की फसल में मेसर्स आयरन स्टेकिंग, मशरूम ट्रे और संरक्षित संरचना के लिए अनुसूचित जाति के 511 किसानों को 488.86 लाख रूपये का लाभ दिया गया।

2. **अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए केन्द्रीय योजना**

   अनुसूचित जाति के 540 किसानों को 1115.26 लाख रूपये फल और रखरखाव क्षेत्र के विस्तार के लिए सब्जी मसाले, सुगंधित और नवीनीकरण जल फार्म तालाब, संरक्षित खेती, मशीनीकरण, पीएचएम और विपणन, आईपीएम/आईएनएम और मधुमक्खी पालन के लिए लाभ के रूप में दिया गया था।

3. **''रेशम समाग्रा'' के लिए केन्द्रीय योजना अनुसूचित किसानों के लिए रेशम उद्योग (आईएसडीएसआई) के विकास के लिए एकीकृत योजना**

   112.37 लाख रूपये के साथ 326 किसानों को लाभान्वित किया गया। अनुसूचित जाति के किसानों को लाभार्थी अधिकारिता कार्यक्रम (बीईपी), शहतूत वृक्षारोपण विकास, 100 डीएफएलएस के लिए पालन गृह का निर्माण, पालन उपकरण की आपूर्ति, सुनिश्चित कोकून उपज के लिए रोगनिरोधी उपाय के लिए सहायता और वृक्षारोपण के रखरखाव के साथ प्रदान किया गया था।

*****